

न्यायालय— सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग),
षष्ठम्, पटना सिटी

T.S. 5/18
C.I.S – 8/18

02-07-2026 प्रस्तुत वाद आज उपस्थापित किया गया। वाद का पुकार कराया गया। दिनांक 18.02.2020 के बाद से वादी लगातार अनुपस्थित है तथा कई निर्देशों के बावजूद वादी उपस्थित नहीं हो रहा है। विदित है कि वादी की रुचि वाद से समाप्त हो चुकी है अतः अदम्य पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी